भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2728

सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

बुंदेलखंड क्षेत्र में रोज़गार की स्थिति

2728. श्री नारायणदास अहिरवार:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि रोजगार के सीमित अवसरों के कारण बुंदेलखंड क्षेत्र में बेरोजगारी की स्थिति गंभीर है और इससे इस क्षेत्र के युवाओं के अंदर अपनी आजीविका की तलाश में पलायन की प्रवृत्ति बढ़ रही है;

(ख) यदि हां, तो बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थायी और स्थानीय रोजगार सृजित करने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में कृषि आधारित उद्योगों, लघु और कुटीर उद्योगों और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए कोई विशेष योजना या पैकेज शुरू करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बुंदेलखंड के प्रत्येक जिले में रोजगार कार्यालयों को सुदृढ़ करने और युवाओं को कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़ने के लिए कोई व्यापक और प्रभावी पहल करने का है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है। इसके अतिरिक्त, बुंदेलखंड क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर बेरोजगारी दर (यूआर) क्रमशः वर्ष 2017-18 में 6.2% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.1% और वर्ष 2017-18 में 4.3% से घटकर वर्ष 2023-24 में 1.0% हो गई है।

सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र सहित देश में कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण, मधुमक्खी पालन, वस्त्र, चमड़ा आदि जैसे कार्यकलापों में लगे कुटीर उद्योगों सहित नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता करने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग

(केवीआईसी) के माध्यम से एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) कार्यान्वित कर रही है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में (बुंदेलखंड क्षेत्र सहित) विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) तथा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

इसके अतिरिक्त, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यावित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

एनसीएस योजना का एक उद्देश्य रोजगार कार्यालयों को आदर्श करियर केंद्रों (एमसीसी) में बदलना है। ये केन्द्र प्रौद्योगिकी के प्रयोग के साथ-साथ करियर परामर्श एवं प्रशिक्षण के माध्यम से स्थानीय युवाओं तथा रोजगार चाहने वाले अन्य व्यक्तियों को रोजगार अवसरों से जोड़ते हैं। इस प्रकार, ये आदर्श करियर केन्द्र (एमसीसी) राज्यों एवं अन्य संस्थानों के सहयोग से रोजगार चाहने वालों और नियोक्ताओं के लिए आउटरीच कार्यकलापों के माध्यम से रोजगार मेलों के आयोजन, नियोक्ताओं को संगठित करने, स्थानीय स्तर पर करियर परामर्श प्रदान करने आदि के लिए एक केन्द्र के रूप में कार्य करते हैं। अब तक, बुंदेलखंड क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश राज्य में 39 आदर्श करियर केन्द्र तथा मध्य प्रदेश राज्य में 13 आदर्श करियर केन्द्र अनुमोदित किए गए हैं।

*****